न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 149/2022

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

गोपाल सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति मजहबी निवासी 14 एफ बड़ा द्वितीय ढाणी मटीली राठान तह० व जिला श्री गंगानगर ।

— वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

— प्रतिवादी

उपस्थित– अधिवक्ता श्री हंसराज तनेजा (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.12.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है जिसका पेशा काश्तकारी है । वादी का रजि० पता जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है, वह वही है जो शीर्षक वाद पत्र में अंकित है, वाद दो प्रतियों में पेश है तथा वाद के समर्थन में वादी का शपथ पत्र शामिल है। वादी के नाम से चक 14 एफ बडा द्वितीय पटवार हल्का मटीली राठान बी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 7/75 मुरबा नम्बर 5 गोपाल सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति मजहबी निवासी 14 एफ बडा द्वितीय ढाणी मटीली राठान तह० व जिला श्री गंगानगर है। वादी शुरू से ही 14 एफ द्वितीय ढाणी खेत मटीली राठान तह० व जिला श्री गंगानगर में ही निवास करता आ रहा है मगर उपरोक्त रकबा की जमाबंदी में वादी का निवास स्थान किसी टंकण की गलती अथवा अन्य किसी कारण से 14 एफ बडा द्वितीय ढाणी तह0 श्री गंगानगर के स्थान पर 9 एम डी घडसाना दर्ज हो गया है जबकि वादी का राशन कार्ड फोटोयुक्त बना हुआ है, जिसकी नकल शामिल है जिसमें भी वादी का पता मटीली राठान दर्ज है इसके अलावा आधार कार्ड सं0 839040135269 भी फोटोयुक्त बना हुआ है जिसमें भी पता 14 एफ मटीली राठान दर्ज है, जन आधार कार्ड 4846 5330269 भी फोटोयुक्त बना हुआ है जिसमे भी पता मटीली राठान दर्ज है, वादी का स्वयं का शपथ पत्र 50 रुपया के स्टाम्प पर पेश है जिसमें भी समस्त विवरण अंकित किया हुआ है कि वादी का पता 9 एम डी घड़साना गलत दर्ज किया गया है, इसके अलावा पटवारी द्वारा मु० न० 5 का नक्शा जो जारी किया गया है उसमें भी वादी अगूंठा लगा हुआ है, इस प्रकार वादी उपरोक्त खाता की उपरोक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हकदार है। राजस्व रिकार्ड में पता गलत दर्ज होने से वादी अपने उपरोक्त रकबा में सुधार कार्य करवाने में असमर्थ हो रहा है क्योकि अन्य समस्त रिकार्ड में वादी का पता 14 एफ बड़ा द्वितीय ढाणी मटीली राठान दर्ज किया हुआ है, जबकि जमाबंदी में 9 एम डी घडसाना दर्ज किया हुआ है, इस प्रकार वादी के लिए सुधार कार्य करवाने में बाधा पैदा हो रही है। वादी ने प्रतिवादी से बार बार आग्रह किया कि वह उपरोक्त जमाबंदी में वादी के नाम दर्ज भूमि को वादी जो निम्न प्रकार से नाम पता आदि दर्ज है के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करे मगर प्रतिवादी टालमटोल करते हुए दिनांक 6.9.22 को ना केवल स्पष्ट इंकारी है बल्कि स्पष्ट कहा है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सक्षम न्यायालय से आदेश अथवा डिक्री लाने पर ही किया जा सकेगा। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, अतः वाद वादी काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा है। लिहाजा दावा वादी पेश करके अर्ज है कि दावा वादी, बहक वादी, खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे–

(क) डिक्री घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड इस अमर की सादिर की जावे कि चक 14 एफ बडा द्वितीय पटवार हल्का मटीली राठान बी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 7 / 75 मु0 न0 5 की 6.325 है0 में से 2033/6325 हिस्सा का वादी गोपाल सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति मजहबी निवासी 14 एफ बडा द्वितीय ढाणी मटीली राठान तह० व जिला श्री गंगानगर को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में पते की दुरूस्ती करने अर्थात 9 एम डी घडसाना के स्थान पर 14 एफ बडा द्वितीय ढाणी मटीली राठान तह० व जिला श्री गंगानगर दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। स्टेट की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया।

वादी गोपाल सिंह पुत्र दयाल सिंह द्वारा साक्ष्य वादी में वादी स्वयं गोपाल सिंह पुत्र दयाल सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया।

वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में स्टाम्प तादादी 50 रूपये पर वाद के समर्थन में हलफनामा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गोपाल सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह जाति मजहबी निवासी चक 14 एफ सैकिण्ड ढाणी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान का हूँ। मैं हल्फन ब्यान करता हूँ कि मिकर उक्त पते का स्थाई निवासी है। मैं हल्फन ब्यान करता हूँ कि मिकर के नाम से कृषिभूमि रकबा वाके चक 14 एफ सैकिण्ड मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 7 व पुराना खाता संख्या 75 के मुरब्बा नम्बर 5 की कुल 6.325 है0 में से 2033/6325 हिस्सा यानि 8 बीघा नहरी रकबा दर्ज कागजात माल राजस्व रिकॉर्ड है। मैं हल्फन ब्यान करता हूँ कि उक्त रकबा जमाबन्दी रिकॉर्ड में मेरा पता 9 एम डी घड़साना दर्ज है जो कि गलत पता दर्ज किया हुआ है जबकि उक्त पते पर मेरे चाचाजी निवास करते है। मैं अपने जन्म से ही चक 14 एफ सैकिण्ड ढाणी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानर में निवास करता हूँ और इसी पते के मेरे समस्त दस्तावेज बने हुए है जिनकी प्रतियां साथ संलग्न है । मैं हल्फन ब्यान करता हूँ कि मैं अपनी उपरोक्त कृषिभूमि पर के सी सी सुविधा लेना चाहता हूँ, यदि मेरे पते सम्बन्धी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए मिकर स्वयं जिम्मेवार रहेगा । मैं हल्फन ब्यान करता हूँ कि हलफनामा हाजा में सब सच सच व सही सही लिखाया गया है ।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 14 एफ बड़ा सेकेण्ड़, पटवार हल्का मटीलीराठान भू.अ.नि. क्षेत्र मिरजेवाला खाता संख्या 7/75 की प्रतियां पेश की। वादी द्वारा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य– गोपाल सिंह पुत्र दयाल सिंह के नाम से जारी आधार कार्ड की प्रति, गोपाल सिंह पुत्र दयाल सिंह के नाम से जारी परिवार राशन कार्ड की प्रति, गोपाल सिंह पुत्र दयाल सिंह के नाम से जारी जन आधार की प्रति पेश की। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया गया।

–::आदेश ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 14 एफ बडा द्वितीय पटवार हल्का मटीली राठान बी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 7/75 मु0 न0 5 की 6.3250 है0 में से 2033/6325 हिस्सा का वादी गोपाल सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति मजहबी निवासी 14 एफ बडा द्वितीय ढाणी मटीली राठान तह० व जिला श्री गंगानगर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव राजस्व रिकार्ड में वादी का पता सा. 9 एम डी घडसाना खातेदार के स्थान पर 14 एफ बडा द्वितीय ढाणी मटीली राठान तह० व जिला श्रीगंगानगर दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.12.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)